न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

केसर देवी बनाम मुकेश कुमार आदि

किस्म मुकदमा दावा मु.नं. 77 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	धोद के द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 190 दिनांक 01.11.2022 देते हुए प्रतिवादी को अवगत कराया कि उनके कार्यालय में उक्त इकरारनामा की कोई प्रति मौजूद नहीं है। जिस कारण से प्रतिवादी उक्त इकरारनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने में असमर्थ है। उक्त फर्जी व नुमायशी इकरारनामा जिसका उल्लेख वादिया ने विक्रय–पत्र दिनांक 16.07.2021 में किया है। विवादित विषय वस्तु से जुडा हुआ व सुसंगत दस्तावेज है जिसको तलब किए जाने से सत्यता माननीय न्यायालय के समक्ष आ सकेगी। जो कि वर्तमान में वादिया के पावर पजेशन में है, जिसको तलब किया जाना प्रार्थनीय है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादिया के विक्रय–पत्र दिनांक 16.07.2021 के पृष्ठ सं. 4 पर उल्लेखित विवादित भूमि के बाबत निष्पादित इकरारनामा वादिया से तलब फरमाये जाने का आदेश फरमावें।"
	उक्त की प्रति वकील वादिया को दिलवाई गई, जिसका जवाब पेश ने कर सीधी बहस के निवेदन पर बहस उभयपक्ष से सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रतिवादी सं. 5 ने अपने उक्त आवेदन में दर्ज कथनों को दोहराते हुये आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रत्युत्तर में वकील वादिया ने उक्त आवेदन को निराधार बताते हुये उक्त आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया।
	बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली, उक्त आवेदन आदि का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी के संबंध में विक्रय–पत्र दिनांक 16.07.2021 में उल्लेखित निष्पादित इकरारनामा वादिया से तलब करवाने का अनुतोष रेस्पोडेंट्स द्वारा चाहा है। लेकिन वकील वादिया ने ऐसा कोई भी इकरारनामा होने से इंकार किया है। प्रकरण दावा का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर है कि हस्तगत दावा वादिया के द्वारा विवादित आराजी के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के बाबत पेश किया है, जो कि न्यायालय हाजा में वर्ष 2021 में विचाराधीन है। उक्त आवेदन के पेश होने से पूर्व हस्तगत दावा में तनकी कायम की जाकर साक्ष्य में चल रहा था। इस स्टेज पर उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
	अतः वकील प्रतिवादी सं. 5 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 17.01.2023 को अस्वीकार किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिया दिनांक 17.09.2025 को पेश हों।
	उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर
17/9/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। पत्रावली [illegible] के पक्षों [illegible] पत्र की पालना में पत्रावली को माननीय [illegible] [illegible] पर [illegible] मिसल शामिल [illegible] उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद (जिला–सीकर (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner